उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

ज्ञापन

क्रमांक बी/6821 जबलपुर, दिनांक 29 अगस्त/1991

बी•एफ•9/91

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

.... ।

यथानिर्देशित आपसे अनुरोध है कि आपके जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों को इस तथ्य से अवगत करावे कि उनके यहां विलंबित प्रकरणों में जब भी भविष्य में अन्य न्यायिक अधिकारियों (विशिष्टकर अन्य स्थानों में पदस्थ) की साक्ष्य हेतु आवश्यकता हो तो उन्हें समंस के साथ संबंधित न्यायिक अधिकारी को सम्बोधित "लेटर ऑफ रिक्वेस्ट" के अतिरिक्त उच्च न्यायालय से साक्ष्य हेतु ऐसे अधिकारियों के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के सन्दर्भ में भेजे गए प्रतिवेदन में इस आशय की टीका निम्न बिंदुओं पर आवश्यक रूप से स्पष्ट उल्लेख करें:-

(अ) पदाधिकारी का साक्ष्य किस तथ्य की पुष्टि के लिए आवश्यक है।

(ब) इसी तथ्य पर अन्य कौन कौन से साक्षी के साक्ष्य भी हैं ?

(स) क्या अन्य शेष साक्षी के साक्ष्य अनुपलब्ध है ?

(द) उक्त साक्ष्य के अभाव में प्रकरण के निविश्चयन में क्या मूलभूत तथ्य असिद्ध रह जावेगा ?

(य) निष्कर्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

आपसे यह भी निवेदन है कि अन्य जिले में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को साक्ष्य हेतु आहूत करते वक्त मांगी गई उक्त तथ्यों पर पीठासीन अधिकारी के टीका का स्वयं भी आंकलन करें, तदन्तर न्यायिक अधिकारी की साक्ष्य आवश्यक ही है तो इसे रजिस्ट्री को अग्रेषित करें, क्योंकि बहुधा केवल तकनीकी आधार पर एवं औपचारिक साक्षी होने के बावजूद भी न्यायिक अधिकारियों को साक्ष्य हेतु बुलाया जा रहा है, इस कारण से शासन को न केवल अपव्यय अपितु संबंधित आहूत किए गए न्यायिक अधिकारी के न्यायालय का कार्य भी अवरुद्ध हो जाता है।

विशिष्ट रूप से यह उल्लेखनीय है कि ऐसे समंक पर रजिस्ट्री की अनुमति प्राप्त करने हेतु कम-से-कम 45 दिन पूर्व संबंधित समंक मय वांछित जानकारी इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए ।

सही/-

(एच0डी0 शर्मा)

एडीशनल रजिस्ट्रार

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

MEMORANDUM

No. D/5803 /
B.F.9/2005

Jabalpur, dt. 16th /Sept.,0

To,

The District & Sessions Judge,
HOSHANGABAD

Subject:- Regarding appearance of Judicial Officers in Court hearing/Departmental Enquiry.

As directed, in respect of making convenient the appearance of Judicial Officers in Court hearing/Departmental Enquiries, you are requested to bring in to the knowledge of all the Judicial Officers working under your kind control that,-

1. Whenever the Judicial Officer called for as witness in the Court Hearing/Departmental Enquiries through this Registry he should appear before the Presiding Officer/ Departmental Enquiry Officer on the fixed date due for the hearing.
2. The date of hearing of the Criminal Case/Departmental Enquiry as fixed should not be adjourned by the Presiding Officer/Departmental Enquiry Officer in any condition.
3. The Officer conducting the case should intimate the other Judicial Officer required in the case as well as Registry about the leave, if he availa on the date of hearing, by any means of communication i.e. FAX, NIC, Phone etc.

16/9/05

(GAURI SHANKAR DUBEY)
ADDITIONAL REGISTRAR

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

MEMORANDUM

No.....D/449................................/ Jabalpur, dt.31./01/2012
B.F.9/12

To,

The District & Sessions Judge,

..............................(M.P.)

Subject :- Regarding calling of Judicial Officers as witness in Criminal Cases.

As directed, on the subject mentioned above, I am to request you to bring it to the notice of all the Subordinate Judicial Officers working under you that in Criminal Cases where a Judicial Officer is required to attend Court as witness, efforts be made to **fix the case on Saturdays** for their evidence, as far as possible, so that the work of such Judicial Officer may not be suffered.

Sd/-

(ABHAI KUMAR)
REGISTRAR (DE)

:-: